संख्या-41/2023/001-967-24-1-2023-1350-2021

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के शासकीय आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-40/उ0नि0लि0/निदे0 (वित्त), दिनांक 02 मार्च, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के शासकीय आय-व्ययक में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1427-30 में हो रही बचत धनराशि रूपये 5,09,00,000/- (रूपये पॉच करोड़ नौ लाख मात्र) में से पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार धनराशि रूपये 4,09,00,000/- (रूपये चार करोड़ नौ लाख मात्र) को लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1415-30 में पारीछा तापीय परियोजना पर फायर फाइटिंग सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। निदेशक (वित्त) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगें।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 उत्तरदायी होगें।

(5) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं समय-समय पर पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि

तथा आहरित धनराशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(9) इस सम्बन्ध में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,09,00,000/- (रूपये चार करोड़ नौ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 480102190141415 पारीछा तापीय परियोजना पर फायर फाइटिंग सुदृढ़ीकरण हेतु अंशपूँजी मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- E-10-203-दस-2022-23-दिनांक: 29 मार्च, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या- 41/2023/001-967(1)-24-1-2023-1350 -2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।